उत्तराखण्ड शासन

Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090300574

DISTRICT NAME :टिहरी गढ़वाल SRO :जाखणीधार

UKPDE2024090300574 From 16 Feb 2023 20-Dec-2024 11:57:15

Appointment Date: 20 Dec 2024 | Appointment Time:12:30 p.m to 01:30 p.m | Appointment TokenNo:1

470/2024

Deed/Article Type :Lease

Sub-Deed/Sub-Article :Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index :कुम्हारधार -B.4.जाखणीधार-नगरकोट मोटर मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :कुम्हारधार -B.4.जाखणीधार-नगरकोट मोटर मार्ग

Khewat : | Khatoni :00061

Khasra :1099 M 1100 M

House/Flat No:

Area :2,810.0000 वर्ग मीटर

Latitude - | Longitude 0.0000000000

Land Value :0.00 | Construction Value :0.00

Transaction Value :0.00 | Market Value :0.00

Advance :0.00 | Lease Period :27.00 | Avg. Rent :5,367.36

Stamp Duty :7,800.00 | Regn Fees :3,880.00

Pasting Fees :100 | Page :22

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रक़ा

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	3,880.00	

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	7,800.00	-	20-Dec-2024	15

टिहरी जिला

सत्यमेव जयते

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्रीमती विन्नी देवी उर्फ बिन्दु देवी पत्नी श्री चांके लाल निवासी ग्राम-कुम्हारधार, पट्टी-जाखणीधार, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड Email :vinni_4587@gmail.com		House wife		8938078214	ADHAAR : 290444222630
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री बसन्ती देवी उपाध्याय पत्नी श्री ईश्वरी दत्त उपाध्याय निवासी-डी०-७०४,द रेजिडेन्सी, समीप गेट म०-०२, सेक्टर-५२, आरडी सिटी वजीराबाद, (७५) गुड़गाँव हरियाणा द्वारा मुख्तारे आम साहिल राणा पुत्र श्री धर्मपाल सिंह राणा निवासी १४२, ग्रस्टन गंज, कुम्भीचौड़ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड Email :rishurana@gmail.com		Self employed		9149185615	ADHAAR : 320291581290
गवाह	श्री शिशपाल सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह निवासी ग्राम-कुम्हारधार, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड		Self employed		8979771247	ADHAAR : 262427336617
गवाह	श्री सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी ८५, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड		Self employed		9675988009	ADHAAR : 278921295430

Deed Writer /Advocate Name :D.Dumoga Adv.

टिहरी

उत्तराखण्ड

भारत सरकार
Government of India

Issue Date : 15/12/2013

बिन्दु देवी
Bindu Devi
जन्म तिथि / DOB : 14/09/1960
महिला / Female

2904 4422 2630

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Print Date : 24/07/2023

पता: -, -, जाखणीधार, कुमर्धर माया मरोड़ा, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, 249123

Address: -, -, JAKHNIDHAR, Kumardhar Maya Maroda, Tehri Garhwal, Uttarakhand, 249123

2904 4422 2630

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

Aadhaar no. issued: 18/05/2015

साहिल राना
Sahil Rana
जन्म तिथि/DOB: 09/10/2003
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/ ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

3202 9158 1290

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Details as on: 27/03/2024

पता:
आत्मज: धर्मपाल सिंह राना, 142, ग्रस्टन गंज, कुम्भिचौर, कुम्भिचौर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड - 246149

Address:
S/O: Dharampal Singh Rana, 142, grastan gunj, Kumbhichaur, PO: Kumbhichaur, DIST: Pauri Garhwal, Uttarakhand - 246149

3202 9158 1290
VID : 9135 2279 1864 7187

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

शिशपाल सिंह
Shispal Singh
पिता : दीवान सिंह
Father : DIWANS SINGH
जन्म तिथि / DOB : 14/08/1994
पुरुष / Male

2624 2733 6617

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O दीवान सिंह, हाउस न. 20, कुम्हारधार मय कफ़ली, खंडी माया काफली, टिहरी गढ़वाल, जखिन्धर, उत्तराखंड, 249123

Address:
S/O Diwan Singh, House No. 20, Kumardhar May Kafali, Khandi Maya Kafali, Tehri Garhwal, Jakhnidhar, Uttarakhand, 249123

2624 2733 6617

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

Issue Date: 22/02/2014

सुमित सैनी
Sumit Saini
जन्म तिथि/DOB: 06/07/1998
पुरुष/ MALE

2789 2129 5430
VID : 9170 5987 1646 0133

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Download Date: 21/12/2021

पता:
S/O सतीश कुमार, 85, निज़ामपुर, निजामपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड - 247670

Address:
S/O Satiesh Kumar, 85, nizampur, Nizampur, Haridwar, Uttarakhand - 247670

2789 2129 5430
VID : 9170 5987 1646 0133

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

टिहरी
जिला टिहरी

IN-UK63699960799462W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK63699960799462W
Certificate Issued Date	:	20-Dec-2024 11:48 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1229604/ TEHRI/ UK-TG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK122960434492420426977W
Purchased by	:	SMT BASANTI DEVI UPADHYAY THROUGH ATTORNEY SAHIL R
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	VILL-KUMHARDHAR PATTI-KHAS TEHRI GARHWAL
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SMT BINNI DEVI URF BINDU DEVI
Second Party	:	SMT BASANTI DEVI UPADHYAY THROUGH ATTORNEY SAHIL R
Stamp Duty Paid By	:	SMT BASANTI DEVI UPADHYAY THROUGH ATTORNEY SAHIL R
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	7,800 (Seven Thousand Eight Hundred only)

दुर्गा प्रसाद उनियाल
स्टाम्प विक्रेता
कोर्ट कम्पाउण्ड, नई टिहरी

Please write or type below this line

द० नि० श्रीमती बिन्नी देवी

द० नि० बिन्दु देवी

IE 0025383491

Sahil

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

Verified & Locked

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

0025583441

पट्टा विलेख Lease Deed

यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा) दिसम्बर 2024 माह के 20 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

श्रीमती विन्नी देवी उर्फ बिन्दु देवी पत्नी श्री बांके लाल (Adhar no. 290444222630) (Mob.8938078214) निवासी–ग्राम–कुम्हारधार, पट्टी खास, तहसील–जाखणीधार, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन–249123, इसके बाद इन्हे पट्टेदाता/लीज दाता/प्रथम पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानुनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होगें।

एवं

श्रीमती बसंती देवी उपाध्याय पत्नी श्री ईश्वरी दत्त उपाध्याय, निवासी–डी0–704, द रेजीडेंसी, समीप गेट सं0–02, सेक्टर–52, आरडी सिटी, वजीराबाद, (75) गुड़गांव, हरियाणा द्वारा मुख्तारेआम साहिल राणा पुत्र श्री धर्मपाल सिंह राणा, निवासी–142,ग्रस्टन गंज, कुम्भीचौड़, पौड़ी गढवाल (Adhar No-320291581290) (Mob-9149185615)–जिसे इसके बाद इन्हे पट्टेदार/लीज प्राप्त कर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे, पट्टेदार श्रीमती बसंती देवी उपाध्याय द्वारा साहिल राना को उक्त लीज करने हेतु अपना मुख्तारआम नियुक्त किया गया है तथा मुख्तारनामा उप निबन्धक देहरादून तृतीय की बही सं0–04, जिल्द सं0–618 के पृष्ठ सं0–91 से 108 पर कमांक 1679 पर दिनांक 29.10.2024 को पंजीकृत है, मुख्तारदाता जीवित है तथा उनके द्वारा उक्त मुख्तारनामा खण्डित नहीं किया गया है तथा मुख्तारनामें में प्रदत्त अधिकार व शक्तियों का प्रयोग करते हुये पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया है।

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 470 वर्ष 2024

Lease
Lease(Not exceeding 30 years)

नजराना रु0 : 0.00
औसत वार्षिक
किराया रु0 : 0.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 3880.00	रु0 100.00	रु0 220.00	रु0 4200.00	1000

श्री बसंती देवी उपाध्याय पत्नी श्री ईश्वरी दत्त उपाध्याय निवासी-डी०-७०४,द रेजिडेंसी, समीप गेट सं०-०२, सेक्टर-५२, आरडी सिटी वजीराबाद, (७५) गुड़गाँव हरियाणा द्वारा मुख्तारे आम साहिल राणा पुत्र श्री धर्मपाल सिंह राणा निवासी १४२, ग्रस्टन गंज, कुम्भीचौड़ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड ने आज दिनांक 20 Dec 2024 समय मध्य 12PM व 1PM को कार्यालय उपनिबन्धक जाखणीधार में प्रस्तुत किया ।

बसंती देवी उपाध्याय पत्नी श्री ईश्वरी दत्त
उपाध्याय निवासी-डी०-७०४.द रेजिडेंसी. समीप

उपनिबन्धक
जाखणीधार
20-Dec-2024

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्रीमती विन्नी देवी उर्फ़ बिन्दु देवी पत्नी श्री बांके लाल निवासी ग्राम-कुम्हारधार, पट्टी-जाखणीधार , तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड \ ने नजराना मुबलिग रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्री बसंती देवी उपाध्याय पत्नी श्री ईश्वरी दत्त उपाध्याय निवासी-डी०-७०४,द रेजिडेंसी, समीप गेट सं०-०२, सेक्टर-५२, आरडी सिटी वजीराबाद, (७५) गुड़गाँव हरियाणा द्वारा मुख्तारे आम साहिल राणा पुत्र श्री धर्मपाल सिंह राणा निवासी १४२, ग्रस्टन गंज, कुम्भीचौड़ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड \ ने भी स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री शिशपाल सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह निवासी ग्राम-कुम्हारधार, पट्टी-ख़ास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड तथा श्री सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी ८५, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ने की।

उपनिबन्धक
जाखणीधार
20-Dec-2024

1. यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम–कुम्हारधार, पट्टी–खास, तहसील–जाखणीधार, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड के खतौनी खाता संख्या 00061 फसली वर्ष 1428–1433 में दर्ज खेत संख्या 1099 मध्ये रक्चा 0.246 हे0 व खेत सं0–1100 मध्ये रक्वा 0.035 हे0, कुल खेत 2 कुल रक्चा 0.281 हे0 याने 2810 वर्ग मीटर भूमि पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक सहभूमिधर व कब्जेदार स्वामी है उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तो व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) के द्वारा 200 कि0वा0 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में आवेदन किया गया है तथा सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है, यदि सोलर प्लांट आवंटित नहीं होता है तो पक्षकारान उक्त पट्टा विलेख को समर्पण कर देंगे।
2. यह कि पट्टा दिनांक 20.12.2024 से प्रारम्भ होकर 19.12.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा। पट्टेदार मु0 4200 रू0 प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रतिवर्ष की रकम पर उक्त भूमि को पट्टा/किराये पर ले रहा है, यह किराये राशि 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष के पश्चात् किराया पट्टा राशि 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्धि की जायेगी, पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात अर्थात 27 वर्ष होने के पश्चात् फिर उपयोग के लिए चाहेंगे, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरान्त कर सकेंगे। अन्यथा भूमि खाली की जायेगी।
3. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया वर्तमान में 4200 रू0 प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, प्रथम 10 वर्ष के लिए 5,90,100 रू0, द्वितीय 10 वर्ष के लिए 6,49,110 रू0 तथा अन्तिम 7 वर्ष के लिये 4,99,814.70 रू0 याने कुल 27 वर्ष का किराया मु0 17,39,024.70 रू0 तथा औसत वार्षिक किराया 64,408.32 रू0 होता है तथा प्रतिमाह औसत किराया 5367.36 रू0 होता है।

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 470 वर्ष 2024

विन्नी देवी उर्फ़ बिन्दु देवी

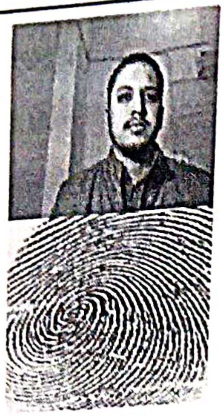

बसंती देवी उपाध्याय पत्नी श्री ईश्वरी दत्त उपाध्याय

शिशपाल सिंह

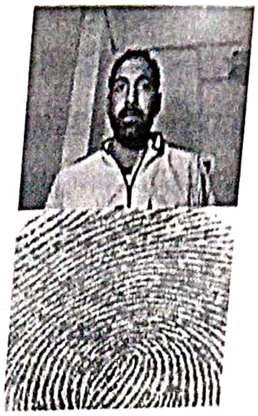

सुमित सैनी

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीधार
20 Dec 2024

4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय–समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।
5. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का स्थाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।
6. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।
7. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध को ऋणदाता बैंक की अनुमति के बिना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विक्रय नहीं कर सकेंगे।
8. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा–150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
9. यह कि लीजशुदा भूमि का वार्षिक औसत किराया मु0 64,408.32 रू0 है तथा उक्त किराया के 6 गुना मु0 3,87,000 रू0 पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु0 7800 रू0 अदा किया गया है।
10. यह कि इस पट्टे विलेख में बताये गये अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करता है कि पट्टेदार को परियोजना व इस पट्टे विलेख में दी गई जमीन के पट्टा अधिकारों को किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने व किसी भी सिक्यूरिटि/गिरवी रखने के लिये पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में

टिहरी

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड

पट्टेदार के अधिकार एवं हित ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, और नियुक्त सम्मिलित है, (परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के भुगतान के लिये एक सिक्युरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखित में कोई घोषणा नहीं होती है,) पट्टेदाता परियोजना के लिए पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होगा, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है, पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, भूमि पर बैंक से पट्टादार ऋण ले सकता है।

11. यह कि पट्टादाता के द्वारा पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रके विरूद्व बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumberance) पट्टादाता के द्वारा नही लिया जायेगा।

12. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होनें की तिथि तक उस बैंक, जिसके द्वारा पट्टेदार को 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की सहमति के बिना समाप्त नही किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टादाता एवं पट्टेदार की आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।

13. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 20.12.2024 से प्रारम्भ होकर 19.09.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैद्य होगा एवं इसमें दी गयी विभिन्न शर्तें दोनो पक्षों पर लागू होंगी।

टिहरी

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड

14. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वारा पट्टेदार को Defaulter घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर सकता है।
15. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।
16. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित विवरण संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। उक्त भूमि की सीमायें निम्न से घिरी हुई है:–
पूर्वः– रास्ता।
पश्चिमः– रास्ता।
उत्तरः– भास्करानन्द की भूमि।
दक्षिणः– राजेन्द्र दत्त की भूमि।

टिहरी
जिला
उत्तराखण्ड
सत्यमेव जयते

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

टिहरी
सत्यमेव जयते
उत्तराखण्ड

अतः आज दिनांक 20.12.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता / पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।

ह0 प्रथम पक्ष / पट्टादाता

ह0 द्वितीय पक्ष / पट्टेदार

रचियता

देवेन्द्र दुमोगा

एडवोकेट

गवाह

1. शिशपाल सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह, निवासी–ग्राम–कुम्हारधार, पट्टी–खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड।
   आधार नं0–262427336617 Mob.8979771247

2. सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार, निवासी–85, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।
   आधार नं0– 278921295430 Mob. 9675988009

बही संख्या 1 जिल्द 69 के पृष्ठ 329 से 350 पर क्रमाक 470 पर आज दिनांक

20 Dec 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,जाखणीधार
20 Dec 2024